

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बाणियावास
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर - 480/2017

प्रार्थनी :-

1. भंवरसिंह पुत्र उमरावसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र उमरावसिंह
3. हिम्मतसिंह पुत्र लालसिंह जाति चारण निवासी
बाणियावास तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. अभयसिंह पुत्र देवीसिंह
2. गिरधारीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत, बाणियावास
3. भीखसिंह पुत्र वस्तसिंह
4. गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह
5. दलपतसिंह पुत्र सावलसिंह
6. दुर्गसिंह पुत्र सावलसिंह
7. चैनसिंह पुत्र प्रतापसिंह
8. माधुसिंह पुत्र सोहनसिंह
9. रेवतसिंह पुत्र सोहनसिंह
10. किशनसिंह पुत्र सोहनसिंह
11. देवीसिंह पुत्र सोहनसिंह
12. बाबुसिंह पुत्र चौथसिंह
13. खींसिंह पुत्र चौथसिंह
14. जेतुसिंह पुत्र चौथसिंह
15. हीरसिंह पुत्र चौथसिंह
16. डूंगरसिंह पुत्र चौथसिंह
17. अम्बाकंवर पत्नि नारायणसिंह
18. खम्माकंवर पत्नि घेवरसिंह सभी जातियान पुरोहित
19. चिमना पुत्र मालाराम,
20. वेनाराम पुत्र मालाराम
21. मिसराराम पुत्र मालाराम जाति मेगवाल नि0 मेघावास
22. मधुकरण पुत्र किशोरकरण
23. शक्तिकरण पुत्र किशोरकरण
24. अन्नकरण पुत्र किशोरकरण जाति राजपूत नि0 बगनावास
25. भंवरकंवर पत्नि जयसिंह
26. नरपतसिंह पुत्र जयसिंह
27. बैरसालसिंह पुत्र भोपालसिंह
28. गणेशसिंह पुत्र भोपालसिंह
29. खम्माकंवर पत्नि पर्वतसिंह
30. शैलेन्द्रसिंह पुत्र पर्वतसिंह
31. महावीरसिंह पुत्र पर्वतसिंह

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन तहायक कलेक्टर
बालोतरा केम्प.

32. मंगलसिंह पुत्र वीरधसिंह
33. माधोसिंह पुत्र अपसिंह
34. सुमेरसिंह पुत्र अपसिंह
35. लाछकंवर पत्नि गिरधारीसिंह राजपूत नि० बाणियावास
36. गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह
37. भीखसिंह पुत्र वगतसिंह जाति पुरोहित मेगावास
38. सुआ पत्नि खुशालाराम
39. लुम्बा पुत्र शम्भुडा
40. दुर्गा पुत्र शम्भुडा
41. कानाराम पुत्र मिसराराम
42. दीपाराम पुत्र मिसराराम
43. मेगाराम पुत्र मिसराराम
44. महेन्द्र पुत्र मिसराराम
45. दाखु देवी पत्नि मिसराराम
46. नेमाराम पुत्र अनिया
47. थानाराम पुत्र अनिया
48. सांगाराम पुत्र अनिया
49. कुम्भाराम पुत्र अनिया
50. नाराराम पुत्र अनिया
51. कसुम्बी पत्नि अनिया जाति मेगवाल नि० मेघावास
52. डूंगरा पुत्र गीगा माली नि० बाणियावास
53. सरोज देवी पत्नि गिरधारीसिंह
54. पूनमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
55. नैनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
56. बाबूसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
57. कानसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
58. भंवरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
59. जमना बैवा राणसिंह
60. मदनसिंह पुत्र राणसिंह
61. गिरधरसिंह पुत्र सुजानसिंह
62. जसवन्तसिंह पुत्र धनसिंह
63. मोहनसिंह पुत्र धनसिंह राजपुरोहित नि० मेघावास
64. लाछकंवर पत्नि विरधसिंह राजपूत नि० बाणियावास
65. भूरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति पुरोहित नि० मेगावास
66. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश

दिनांक : 25.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प बाणियावास में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खातेदारी भूमि खसरा न० 136, 139, 161 व 165 ग्राम बाणियावास तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 65 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं।

(श्री) विष्णु शर्मा
 गीन अतिथीको लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
 पचपदरा तहसील एवं पंचायत
 तहसीलदार कैम्प 25/06/2018

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजरव रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

दोनों पक्षकारन उपस्थित। सीमाज्ञान हेतु सहमति जाहिर की गयी। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हो। भू- मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प
aditya11h